

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 153/18

1. बल्लू सेंमर उर्फ अवनीश पुत्र महाराज सिंह
आयु 30 साल जाति जाटव
 2. बेदराम पुत्र नाहरसिंह आयु 40 साल जाति जाटव
निवासीगण वार्ड नं0 16 गांधी नगर गोहद जिला
भिण्ड, म.प्र. —आवेदक
- विरुद्ध
पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

जमानत आवेदन क्रमांक 155/18

निक्की उर्फ निशांत बरैया पुत्र प्रदीप कुमार बरैया
आयु 22 साल जाति जाटव निवासी वार्ड नं02
गंज बाजार गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.
—आवेदक

विरुद्ध
पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

26-04-18

सभी आवेदक/अभियुक्तगण बल्लू सेंमर उर्फ अवनीश, बेदराम एवं निक्की उर्फ निशांत बरैया की ओर से श्री गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह, गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 81/18 अंतर्गत धारा 188, 147, 148, 149 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन क्रमांक 153/18 आवेदकगण बल्लू सेंमर उर्फ अवनीश, बेदराम का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। जमानत आवेदन क्रमांक 155/18 आवेदक निक्की उर्फ निशांत बरैया का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण दोनों जमानत आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्तगण बल्लू सेंमर उर्फ अवनीश, बेदराम एवं निक्की उर्फ निशांत बरैया की ओर से गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र धारा 437 दं0प्र0सं0 का खारिज हो जाने के उपरांत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439

दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उपरोक्तानुसार प्रथम नियमित जमानत आवेदनों के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही निराकृत हुये हैं।

सभी आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्षों को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्तगण बल्लू सेंमर उर्फ अवनीश एवं वेदराम ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदकगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद ने झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदकगण के फरार होने व साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः इन्हीं सब आधारों पर उन्हें जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को अति गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कैफियत सहित संपूर्ण केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 02.04.18 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के आदेश से कस्बा गोहद में धारा 144 दं0प्र0सं0 लागू की गई थी। दिनांक 03.04.18 को एसडीएम गोहद के हमराह पटवारी संदीप जैन, महेंद्र सिंह, आशीष सेंगर कस्बा गोहद में ड्यूटी पर थे। करीब एक बजे का समय होगा गोलम्बर तिराहा पर बल्लू पुत्र धर्मवीर गुर्जर, छुन्ना गुर्जर, निशांत बरैया उर्फ पिंकी, बेदराम जाटव, सचिन जाटव, गंगाराम जाटव, जीतू गुप्ता, राजेंद्र मिर्धा, बॉबी गुप्ता, पंकज गुप्ता, विशाल मांझी, अनिल मांझी, संजीव कोरकू एवं अन्य करीब 200 लोगों ने अपने हाथों में लाठी डण्डा जैसे घातक हथियार लेकर एकत्रित होकर बल या हिंसा का प्रदर्शन करते हुये नारेबाजी करते हुये जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया गया है।

उक्त घटना के संबंध में फरियादी संदीप जैन द्वारा की गई रिपोर्ट पर से धारा 188, 147, 148, 149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आवेदकगण सहित अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामला विवेचना के प्रक्रम पर है। मामले में अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हुई है तथा आवेदक/अभियुक्तगण के उक्त कृत्य के परिणामस्वरूप बल एवं हिंसा के प्रदर्शन के कारण समाज में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित होना व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना एवं लोकशांति भंग होना बताया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है।

तथा वर्तमान परिवेश में इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। साथ ही जमानत के इस प्रक्रम पर मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः आवेदकगण **बल्लू सेंमर उर्फ अवनीश, वेदराम एवं निक्की उर्फ निशांत** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को विधिवत बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)